

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRA
ORDINARY PART-II - SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)

New Delhi, the 15th January, 1999.

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. (E) -- In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rule further to amend the Income-tax Rule, 1962, namely,-

1. (1) These rules may be called the Income-tax *(2nd Amendment)* Rules, 1999;
(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962;

(a) in rule 18BBA, after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely,-

“(1A) The report of the audit of the accounts of an assessee which is required to be furnished under clause (i) of sub-section (2) of section 80HIBA shall be in Form No.10CCA.”

(b) in Appendix II after form No. 10CCA, the following shall be inserted, namely :-

“FORM NO. 10CCA
[See rule 18BBA(1A)]

Audit report under section 80HIBA of the Income-tax Act, 1961

I/We have examined the balance sheet of Shri
/M/S.....
(name and address of assessee with Permanent Account Number) as at
..... and the profit and loss account for the period ended on that day
which are in agreement with the books of accounts maintained at the head
office at and branches at
.....

I am/ We are satisfied that Shri / M/s
has / have maintained separate accounts in respect of the profits and gains
derived from the execution of a housing project awarded to the assessee on
the basis of global tender which is aided by the World Bank.

I/We certify that all expenses, wherever incurred, for the purposes of
the said business have been debited to the profit and loss account of the said
business and that expenses, if any, incurred by the assessee which are
common to the said business and any other business of the assessee have been
apportioned on a reasonable basis and appropriate debits have been made to
the profit and loss account of the said business.

I/We have obtained all the information and explanations which to the
best of my/our knowledge and belief were necessary for the purposes of the
audit. In my/our opinion, proper books of account have been kept by the
head office and the branches in respect of the aforesaid business visited by

me/us so far as appears from my/our examination of books, and proper returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by me/us subject to the comments given below:

In my/our opinion and to the best of my/our information and according to explanations given to me/us, the said accounts give a true and fair view -

- (i) In the case of the balance sheet, of the state of affairs of the aforesaid business as at, and
- (ii) in the case of the profit and loss account, of the profit or loss of the aforesaid business for the accounting year ending on

Place

Dated

.....

Signature
Accountant

Notes:

1. This report is to be given by :-

(i) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or

(ii) any person who, in relation to any State, is, by virtue of the provisions in sub-section (2) of section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) entitled to be appointed to act as an auditor of companies registered in that State.

2. where any of the matter stated in this report is answered in the negative or with a qualification, the report shall state the reason therefor."

F.No. 142/76/98-TPL



SUNIL SRIVASTAVA

Notification No. 10770 Under Secretary to the Government of India

The principal rules were published vide notification No. S.O. 969 (E) dated 26.3.1962 and were last amended vide notification No. S.O. 13 (E) dated 8th January, 1999.

भारत के राजपत्र, आधारभूत, भाग 2, खंड 3, उपखंड ११११
में प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 15 जून, 1999

अधिसूचना
आय-कर

का०वा० § 1 - केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961
§ 1961 का 43 की धारा 295 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. § 1 इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर 'दूसरा' संशोधन
नियम, 1999 है ;

2. § 2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

§ 18 तक में, उपनियम § 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित
किया जाएगा, अर्थात् :-

"§ 1 किसी निश्चिति के लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जो
धारा 80 जखक की उपधारा § 2 के खंड § 1 के अधीन पेश की जानी
अपेक्षित है, प्ररूप सं० 10 गगक में होगी" ।

§ 2 परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं० 10 गगक के पश्चात् निम्नलिखित
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं० 10 गगक

§ नियम 18 तक § 1 क देखाए

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जखक के अधीन
रिपोर्ट रिपोर्ट

केब्र जो _____ पर स्थित है के तुलन-पत्र
तथा उस दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लाभ और
हानि लेखा की जो 555-_____ पर स्थित मुख्य
कार्यालय तथा _____ पर स्थित शाखाओं में
रखी गई लेखा बहियों के अनुसार है, जांच करली है ।

मेरा / हमारा यह समाधान होगया है कि श्री/भारत _____
_____ में बिजनेस निविदा के आधार पर,
जो बिजनेस बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है, निष्कारिती को दी गई
विस्ती आवासन परियोजना के निष्पादन से व्युत्पन्न लाभ और
अभिलाभ की बाबत पृथक लेखा रहे हुए हैं ।

मे / हम यह प्रमाणित करता हू / करते हैं कि सभी व्यय
को, जो उक्त कारबार के प्रयोजनों के लिए उद्भूत हुआ है, उक्त
कारबार के लाभ और हानि लेखा में बिकलित कर दिया गया है
तथा वह व्यय जो निष्कारिती द्वारा उपगत होता है, यदि
कोई है, और जो उक्त कारबार में सामान्य रूप से है तथा
जो निष्कारिती के अन्य कारबार से उद्भूत होता है, युक्तियुक्त
आधार पर आबंटित कर दिया गया है और उसको उक्त कारबार
के लाभ और हानि लेखा में समुचित रूप से बिकलित कर दिया
गया है ।

मेने / हमने ये सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त
कर लिये हैं जो मेरे क्षेत्र / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास
के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य है ।

मेरी / हमारी राय में, मेरे / हमारे द्वारा निरीक्षण किए गए
उपयुक्त कारबार की बाबत मुख्य कार्यालय / शाखाओं द्वारा समुचित
लेखा बहियाँ, जहाँ तक बहियों और समुचित बिकल्पियों की जाँच
से मेरे / हमें प्रतीत होता है, निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन

_____ की गई शाखाओं में

भेरी / हमारी राय में और भेरी / हमारी सर्वोत्तम
जानकारी तथा भूँ / हमें दिए गए दृष्टीकरणों के अनुसार उक्त
लेखा निम्नलिखित की बाबत सही और अजु चित्र प्रस्तुत करता
है, -

§ 11 तुलन पत्र की दशा में, ----- पर स्थित

उपर्युक्त कारबार के कार्य की स्थिति और

§ 11 लाभ और हानि लेखा की दशा में, ----- को

समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के लिए उपर्युक्त कारबार

की लाभ या हानि ।

स्थान -----

हस्ताक्षर

तारीख -----

लेखाका

टिप्पण :-

यह रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जाएगी :-

§ 11 चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 § 1949 का 38 §

के अन्तर्गत कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट; या

§ 11 कोई व्यक्ति जो किसी राज्य की बाबत,

कंपनी अधिनियम, 1956 § 1956 का 1 § की धारा

226 की उपधारा § 2 § के उपबंधों के अनुसार,

उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में लेखा परीक्षक

के रूप में नियुक्त होने के लिए हकदार है ।

2. जहाँ, इस रिपोर्ट में व्यक्ति किसी विषय का उत्तर
नकारात्मक या कुछ शर्तों के साथ दिया जाता है
तो रिपोर्ट में उसके कारणों का ब्यन होगा ।"


§ सुनीति श्रीवास्तव §

फा0सं0 142/76/98-टीपीएल अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं0 10770

मूल नियम अधिसूचना सं0 का0आ0 959 §अ§, तारीख 26.3.1962
द्वारा अधिसूचित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना
सं0 का0आ0 ---13- §अ§, तारीख 02.1.1999 द्वारा किया
गया था ।